"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त 2017 — श्रावण 31, शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–12/आठ–परि./2017. — छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, तृतीय तल, सी–ब्लाक, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,–

नियम 64 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(क) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव को, उनके सम्मुख कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट तत्संबंधी क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी:–

स. क्र.	अधिकारी	निम्नलिखित जिलों में शामिल क्षेत्र के लिये
(1)	(2)	(3)
(1)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार–भाटापारा
(2)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर	बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा
(3)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, मुंगेली

(1)	(2)	(3)
(4)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुर नगर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर
(5)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा।"

No F 5-12/VIII/Trans./2017. — The following further draft to amend the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette;

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, during office hours by the office of the Transport Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Third Floor, C-Block, Indrawati Bhawan, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 64, in sub-rule (1), for clause (a), the following shall be substituted, namely :-

"(a) The Secretary to the Regional Transport Authority shall have the jurisdiction on the corresponding areas as specified in column (3) against them :-

S. No.	Officer	For the area consisting district of
(1)	(2)	(3)
(1)	Regional Transport Officer, Raipur	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Gariyaband, Balodabazar-Bhatapara
(2)	Regional Transport Officer, Jagdalpur	Bastar, Kanker, Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Kondagaon, Sukma
(3)	Regional Transport Officer, Bilaspur	Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa, Raigarh, Mungeli
(4)	Regional Transport Officer, Ambikapur	Surguja, Jashpur Nagar, Korea, Surajpur, Balrampur
(5)	Regional Transport Officer, Durg	Durg, Rajnandgaon, Kabirdham, Balod, Bemetara."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017